

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

87 / 2018  
20-12-2018

रामफूल पुत्र श्रीकिशन गीणा निवारी ग्राम-पचाला तहसील उनियारा जिला  
टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला- टोक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार उनियारा दिनांक 24-10-2018

उपस्थिति : (1) श्री देवीप्रकाश तिवाड़ी अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 22-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 24-10-2018 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1433/1829 रकबा 0.23 है० वाके ग्राम पचाला तह० उनियारा में अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त करने व पश्चातवर्ती अतिकर्मी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है और नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नहीं दिया और पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है, केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए बिना तथ्यों की जांच किये एवं अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि विधान एवं तथ्यों के वितरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा आरोपित पेनल्टी राशि भी जमा करा दी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।




f

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1433/1829 रकबा 0.23 एयर वाके ग्राम वाके ग्राम पंचाला में अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त की है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर पहले भी अतिक्रमण किया था जिसे पत्रावली सं० 812/18 दिनांक 16 मार्च 2018 को वेदखल किया गया था। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकर्मी साबित है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्तीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है एवं अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया है कि उसका कब्जा जहाँ है वह उसकी खातेदारी की भूमि है और भविष्य में नोटिस नहीं देने की चेतावनी भी दी है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1433/1829 रकबा 0.23 एयर वाके ग्राम वाके ग्राम पंचाला में अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त की है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर पहले भी अतिक्रमण किया था जिसे पत्रावली सं० 812/18 दिनांक 16 मार्च 2018 को वेदखल किया गया था। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकर्मी साबित है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 24-10-2018 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर, टोक